



हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)

महत्वपूर्ण सूचना

एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए अराजकीय स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं गुरुकुल/विद्यापीठ से ऑनलाईन सम्बद्धता आवेदन फार्म व शुल्क लिया जाना है। शुल्क विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. अराजकीय स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों से सम्बद्धता निरन्तरता शुल्क 2000/-रुपयें (18% GST सहित)।
2. नई सम्बद्धता/अपग्रेड हेतु सम्बद्धता शुल्क 20,000/-रुपयें (18% GST सहित)।
3. गुरुकुल/विद्यापीठों से सम्बद्धता निरन्तरता शुल्क 8000/-रुपयें (18% GST सहित)।

सम्बद्धता शुल्क HDFC बैंक द्वारा Payment Gateway के माध्यम से ऑनलाईन लिया जाना है। अराजकीय स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा 10/- रूपए की स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र, मान्यता-पत्र व पंजीकृत सोसायटी का पत्र Upload करने अनिवार्य (Mandatory) हैं। शपथ-पत्र का प्रारूप पोर्टल एवं बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध है। अराजकीय विद्यालयों के मान्यता (Recognition) का जब तक जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा सत्यापन नहीं किया जाता, तब तक बोर्ड की सम्बद्धता सशर्त रहेगी। राजकीय विद्यालयों द्वारा सम्बद्धता फार्म के अनुसार Document upload करने अति आवश्यक है। राजकीय विद्यालयों द्वारा सम्बद्धता शुल्क जमा नहीं करवाया जाना है। यदि राजकीय/अराजकीय विद्यालय एवं गुरुकुल/विद्यापीठ निर्धारित तिथि अनुसार सम्बद्धता शुल्क/Document upload नहीं करते हैं तो उन विद्यालयों/गुरुकुल/विद्यापीठों को 5,000/- रुपये विलम्ब शुल्क पर 18% GST सहित Document Upload करने होंगे। राजकीय विद्यालय एवं अराजकीय स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय/गुरुकुल/विद्यापीठ के सम्बद्धता हेतु आवेदन फार्म एवं शुल्क ऑनलाईन भरने की तिथियां निम्न प्रकार से है:-

बिना विलम्ब शुल्क समयावधि	दिनांक 01.09.2026 से 16.09.2026 तक
विलम्ब शुल्क 5000/-रुपयें सहित समयावधि	दिनांक 17.09.2026 से 30.09.2026 तक

सम्बद्धता आवेदन-फार्म व शुल्क ऑनलाईन बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से केवल ऑनलाईन भरा जाना है। ऑनलाईन सम्बद्धता फार्म के अनुसार Document upload किये जाने अनिवार्य हैं। किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए दूरभाष नं० 01664-254300 या बोर्ड कार्यालय की सम्बद्धता शाखा के दूरभाष नं० 01664-244171 से 176 Ext. 111 पर किसी भी कार्यदिवस में 09:00AM से 05:00PM तक सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सम्बद्धता शाखा की ई-मेल asaffi@bseh.org.in पर सूचना भेजी जा सकती है।

8/9/26
सहायक सचिव (सम्बद्धता)

शपथ-पत्र

(10 रु० के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

मैं.....(मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य) पुत्र/पुत्री श्री.....
.....आयु लगभग.....वर्ष, निवासी....., सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित
घोषणा और ब्यान करता/करती हूँ:

1. यह कि मैं.....(विद्यालय का पूरा नाम और पता) में मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और इस विद्यालय की सम्बद्धता के आवेदन के संबंध में शपथ पत्र देने के लिए पूर्णतः अधिकृत हूँ।
2. यह कि उक्त विद्यालय सैकेण्डरी शिक्षा विभाग, पंचकूला (हरियाणा)/जिला शिक्षा अधिकारी सेकक्षा तक स्थाई मान्यता (Recognized) प्राप्त है।
3. यह कि उक्त विद्यालय का संचालन
..(सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम) द्वारा किया जा रहा है, जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत विधिवत पंजीकृत है और वर्तमान में सक्रिय है।
4. यह कि विद्यालय राज्य शिक्षा नियमावली (हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम और शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के सभी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेगा।
5. यह कि विद्यालय की सम्बद्धता के लिए ऑनलाईन अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पूरी तरह से असली और सत्य हैं। यदि भविष्य में कोई भी जानकारी झूठी या अधूरी पाई जाती है, तो बोर्ड कार्यालय को विद्यालय की सम्बद्धता रद्द करने तथा नियमानुसार कार्रवाई करने का पूरा अधिकार होगा।

स्थान:

शपथकार

दिनांक:

मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य
(हस्ताक्षर मोहर सहित)

सत्यापन

मैं, उपर्युक्त शपथकार, यह सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र में वर्णित समस्त तथ्य एवं विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं तथा इसमें कोई भी तथ्य नहीं छिपाया गया है।

स्थान:

शपथकार

दिनांक:

मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य
(हस्ताक्षर मोहर सहित)